

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**  
**आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर**  
**एल ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002**


तारांकित प्रश्न संख्या : 22

दिनांक : 07.08.2018

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री मनोज कुमार

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| क्रम संख्या | प्रश्न  | उत्तर  |
|-------------|---|--|
| क)          | कोंडली विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2015 से अब तक कितनी शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/ बियर की दुकानों को लाइसेंस दिया गया; और                     | कोंडली विधान सभा में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2015 से अब तक दो शराब की दुकानों (एक एल-6 और एक एल-12) को लाइसेंस दिया गया है, (ये दोनों लाइसेंस क्रमशः 02.11.2015 तथा 08.11.2016 को निरस्त किये जा चुके हैं)। |
| ख)          | वर्ष 2015 से अब तक नई शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/ बियर की दुकानों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने अस्वीकृत हुए तथा कितने आवेदनों की संस्तुति की गई? | शराब की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स/बियर की दुकानों के लिए आवेदन विधानसभा वार नहीं लिए जाते हैं। अतः इस से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।   |

  
आयुक्त (आबकारी)